

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2(ग) ए.सी.पी./1986-11/अलेसे-1/ 170

दिनांक:- 08-5-2018

कार्यालय आदेश संख्या55...../2018-19

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में श्री रामजीलाल, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (वर्तमान में व0 लेखाधिकारी), जिनकी जन्मतिथि 10.07.1961 है तथा जिन्होंने लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 01.10.1988 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 18 वर्ष की राजकीय सेवा दिनांक 01.10.2006 को पूर्ण कर ली है। श्री रामजीलाल को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.1(सी)859ए/जांच/8510 दिनांक 08.03.2001 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त जांच प्रकरण में जारी सीसीए 16 में झापन दिनांक 07.01.1998 की जांच में आदेश दिनांक 19.01.2009 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः श्री रामजीलाल को दिनांक 01.10.2006 के स्थान पर दो वर्ष देरी से दिनांक 01.10.2008 से लेखाकार के पद की द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.-2 (9300-34800) पे-बैंड एवं रुपये 4800 ग्रेड-पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री रामजीलाल के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री रामजीलाल का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित कार्मिक की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित कार्मिक ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे हैं।

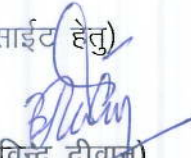

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2(ग) ए.सी.पी./1986-11/अलेसे-1/ 170

दिनांक:- 08-5-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं।
2. श्री रामजीलाल, लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनूं।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)


(अरविन्द दीयानी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)